कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधि०अभि०,प्रो०यू०–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्र संख्या 159/A.A.-P-U-2/12
दिनांक 25-3-2013

सेवा में,

मेसर्स निर्माण बिल्टेक,
सी०पी०–52, सेक्टर–ई,
रिंगरोड, लखनऊ।

नत्थी ....

—:: विषय ::—

अलीगंज योजना के सेक्टर–सी/एस में अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम का डिजाइन, निर्माण एवं विकास कार्य।

महोदय,

उपरोक्त कार्य हेतु आपकी सर्वनिम्न निविदा एवं तदोपरान्त दिये गये पत्र दिनांक 18.03.13 द्वारा संशोधित दरों क्रमशः सुपर एरिया–अर्फोडेबल 1ए एवं 1बी हेतु रू0–17,950.00 प्रतिवर्गमीटर, बेसमेन्ट हेतु रू0–11,000.00 प्रतिवर्गमीटर तथा सुपर एरिया–अर्फोडेबल 2 हेतु रू0–12,900.00 प्रति वर्गमीटर की दर के अनुसार निविदा धनराशि रू0–42,37,34,813.00(रूपया बयालिस करोड़ सैतीस लाख चौतीस हजार आठ सौ तेरह) मात्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी है। प्राधिकरण द्वारा आपकी निम्न दों शर्तो की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1. कम्यूनिटी फैसेलिटी तथा शाप्स का कार्य आपके कार्यक्षेत्र से बाहर रहेगा।
2. सर्विस टैक्स की जो भी देयता बनेगी, तो उसका वास्तविक आधार पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार रीइम्बर्समेन्ट किया जायेगा।

2. जैसा कि निविदा प्रपत्र के शिड्यूल ऑफ वर्क में उल्लिखित है, कार्य का मृदा परीक्षण, भवन ब्लाक्स तथा सर्विसेज की स्ट्रक्चरल डिजाइन(आई0आई0टी0 से परीक्षण कराने के उपरान्त) समस्त ड्राइंग्स प्रस्तुत करनी होगी। कार्य स्थल रेलवे लाइन के निकट है इसलिये स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु डिजाइन में समस्त आवश्यक प्राविधान किये जाने आवश्यक होगे। अग्नि शमन विभाग, प्रदूषण एवं पर्यावरण आदि विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र का दायित्व भी आपके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित है।

3. भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाइन भूकम्परोधी होगी तथा भवनों में फायर–फाइटिंग तथा एन्टीटर्माइट ट्रीटमेन्ट का कार्य किया जाना होगा। भवनों के अन्तर्गत आन्तरिक वाटर सप्लाई एवं सेनेटरी इन्सटालेशन, आन्तरिक विद्युतीकरण इन्सटालेशन, टेलीफोन कन्डयूटिंग, इन्टरकॉम कन्डयूटिंग, केबिल व टी0वी0 कन्डयूटिंग तथा लाइटनिंग कन्डक्टर के कार्य भी सम्मिलित है। अर्फोडेबल 1ए एवं 1बी के प्रत्येक ब्लाक में 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली दो–दो लिफ्ट्स एवं एक–एक बूस्टिंग पम्प का प्राविधान है।

4. परियोजना परिसर के अन्तर्गत समस्त विकास कार्य, भूमि का समतलीकरण, आन्तरिक सड़के एवं पाथवेज, सीवर एवं पानी की लाइनें, ड्रेनेज, एच0पी0एस0बी0 लैम्प्स युक्त स्ट्रीट लाईट, बाउण्ड्रीवाल, गेट्स, अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक, लैण्ड स्केप व हार्टीकल्चर कार्य, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ट्रान्सफार्मर युक्त विद्युत सब स्टेशन, पम्प हाउस सहित दो ट्यूब वेल्स तथा डी0जी0 सेट आदि के कार्य भी आपके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित है।

Scanned by CamScanner

37

5. बेसमेन्ट की डिजाइन भी भूकम्परोधी होगी तथा इसके निर्माण कार्य में वाटरप्रूफिंग, फायर फाइटिंग, आन्तरिक विद्युतीकरण तथा ड्रेनेज आदि के कार्य सम्मिलित है।

6. समस्त कार्य कन्सलटेन्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी ड्राइंग्स, निविदा प्रपत्र तथा इसके साथ संलग्न विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगें।

7. आपकी निविदा के साथ संलग्न पत्र में उल्लिखित शर्त के क्रम में बेसमेन्ट का भुगतान बेसमेन्ट के निर्माण के उपरान्त वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा। भवन की फ्लोर टू फ्लोर हाईट सी0पी0डब्लू0डी0 के मानकों के अनुसार रहेगी। थर्ड पार्टी चेक हेतु 0.23 प्रतिशत धनराशि की कटौती आपके देयकों से की जायेगी तथा सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्य आपके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित है। मशीन रूम तथा ममटी का कार्य भी आपके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित है।

8. कार्य की कार्य प्रारम्भ तिथि 28.03.2013 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 27.09.2014 मानी जायेगी। अनुबन्ध की कार्यवाही हेतु रू0 100.00 मात्र का जनरल स्टैम्प पेपर एवं स्टैम्प देयता के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमाकर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करा लें। उक्त के अतिरिक्त फर्म का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा, बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन नम्बर व मोबाइल नम्बर से भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(दुर्गेश श्रीवास्तव)
अधि0अभि0प्रो0यू0–2

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित सहा0अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

25.9.13
(दुर्गेश श्रीवास्तव)
अधि0अभि0,प्रोजेक्ट,यूनिट–2

Scanned by CamScanner